भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. Ł4191
दिनांक 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए

अवशेषों से महत्वपूर्ण खनिजों का निष्कर्षण

Ł4191. श्री अरुण भारती:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) अवशेषों से महत्वपूर्ण खनिजों को कुशलतापूर्वक निकालने के लिए प्रोत्साहित की जा रही तकनीकी प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा, जस्ता और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर हाल ही में बजटीय छूट के योगदान का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा अवशेषों से महत्वपूर्ण खनिजों की वसूली के लिए नीति तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार खदानों के अवशेषों से महत्वपूर्ण खनिजों की वसूली में निवेश करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार औद्योगिक अपशिष्ट और अवशेषों से महत्वपूर्ण खनिजों की वसूली को बढ़ावा देने के लिए किसी विशिष्ट राजकोषीय या कर प्रोत्साहन पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक सात वर्षों की अवधि में 16,300 करोड़ रुपये के व्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को मंजूरी दी है। एनसीएमएम में विभिन्न प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना भी शामिल है। खान मंत्रालय खनन और धातु विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और प्रौद्योगिकीय नवाचार को

बढ़ावा दे रहा है तथा महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण और निष्कर्षण के लिए अनुसंधान एवं विकास अध्ययनों और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एसएंडटी-प्रिज़्म (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-स्टार्टअप और एमएसएमई में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना) के तहत स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को वित्त-पोषित कर रहा है।

(ख) केंद्रीय बजट 2025-26 में महत्वपूर्ण खनिजों के अपशिष्ट और स्क्रैप तथा अन्य पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। ये सामग्रियां भारत के बढ़ते पुनर्चक्रण क्षेत्र को अतिरिक्त फीडस्टॉक प्रदान करेंगी। इससे भारत के द्वितीयक उत्पादकों को उनकी लागत कम होने से लाभ होगा। यह अंतरराष्ट्रीय द्वितीयक उत्पादकों के साथ-साथ एक समान अवसर भी प्रदान करेगा और भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने तथा द्वितीयक/डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में समर्थ बनाएगा।

(ग) से (ङ): राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना और भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना है जिसमें खनिज गवेषण और खनन से लेकर सज्जीकरण, प्रसंस्करण और एंड ऑफ लाइफ उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक के सभी चरण शामिल हैं।

अधिभार/टेलिंग/फ्लाई ऐश/रेड-मड आदि से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उद्योग, शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करके नए तरीकों के माध्यम से खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं के गठन के लिए मिशन अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

एनसीएमएम में पुनर्चक्रण सुविधाएं मुहैय्या कराने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है।

*****